engage.dss.gov.au टेंपलेट

महिलाओं और उनके बच्चों के खिलाफ़ हिंसा कम करने के लिए नेशनल प्लान 2010–2022 की अगली कड़ी तैयार करना

अपनी राय दें और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले समय में पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा को कम करने में मदद करें

मुख्य सामग्री

अपनी राय दें और ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा कम करने की मुहिम को नई दिशा दें

अगला नेशनल प्लान

ऑस्ट्रेलिया की सरकार *महिलाओं और उनके बच्चों के खिलाफ़ हिंसा कम करने के लिए नेशनल प्लान 2010–2022* (द नेशनल प्लान) की अगली कड़ी तैयार कर रही है.

अगली कड़ी में मौजूदा नेशनल प्लान का काम और आगे बढ़ाया जाएगा. मौजूदा प्लान में पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा (FDSV) कम करने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों की कोशिशों को साथ लाया जा रहा है.

पूरे ऑस्ट्रेलिया में लोगों और संगठनों की राय जानने और अगले नेशनल प्लान को तैयार करने में हमारी मदद के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सर्विसेज़ एक पब्लिक कंसल्टेशन चला रहा है.

अपनी राय दें

अगला नेशनल प्लान तैयार करने और ऑस्ट्रेलिया में 2022 के बाद से FDSV कम करने के लिए आपकी राय ज़रूरी है.

हम पारिवारिक सुरक्षा पर काम करने वाले वकीलों, संगठनों, हिंसा का सीधा अनुभव रखने वाले लोगों, शोधकर्ताओं, सर्विस प्रोवाइडर्स, फ्रंटलाइन फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर्स, कारोबारों, राज्य व स्थानीय सरकारों और जनता की राय जानना चाहते हैं.

कंसल्टेशन के दौरान मिलने वाले फ़ीडबैक से राष्ट्रीय और राज्य व टेरिटरी के लेवल पर अगले नेशनल प्लान के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी. साथ ही, यह भी तय करने में मदद मिलेगी कि किन-किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है. इसमें पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा की संसदीय जांच (दि इंक्वायरी) के ज़रिए मिले फ़ीडबैक की भी मदद ली जाएगी.

DSS इंगेज सर्वे का जवाब देने में आपकी और बेहतर तरीके से मदद की जा सके, इसके लिए विज़ुअल एड के रूप में एक कंसल्टेशन गाइड तैयार की गई है.

आपका फ़ीडबैक एक विस्तृत राष्ट्रीय कंसल्टेशन का हिस्सा होगा, जिससे 2022 में लागू होने वाले अगले नेशनल प्लान की डिज़ाइन, थीम और उसके नतीजे तय करने में मदद मिलेगी. साथ ही, प्राथमिकताएं तय करने के लिए ज़रूरी जानकारी भी मिलेगी.

हम इनसे भी राय ले रहे हैं:

- खास इसी मुद्दे के लिए बनाया गया एक नेशनल प्लान एडवाइज़री ग्रुप जोकि पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा के मामलों का जानकार है.
- हर राज्य व टेरिटरी में टारगेटेड वर्चुअल वर्कशॉप के ज़रिए मिलने वाले पेशेवर. उनसे किसी खास जगह व कई तरह के बैकग्राउंड से जुड़ी राय पता चलती है.
- चुनिंदा इंटरव्यू. इनमें कंसल्टेशन के ज़रिए सामने आने वाले उन खास मुद्दों पर बातचीत की जाती है जिनपर और गहराई-से चर्चा करने की ज़रूरत होती है.

अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें

नीचे सब्सक्राइब करके आप आगे से एक नियमित न्यूज़लेटर के ज़रिए कंसल्टेशन के मौकों के बारे में अपडेट पा सकते हैं. साथ ही, आप अगले नेशनल प्लान को तैयार करने के बारे में भी अपडेट पा सकते हैं.

Your email address*

email address

Subscribe

अगर आपको मदद चाहिए

पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा पर बात करना मुश्किल हो सकता है और आपकी सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है.

अगर आप या आपके किसी परिचित को किसी भी समय मदद या सहयोग की ज़रूरत हो, तो नीचे दी गई सेवाओं में से किसी एक पर संपर्क करें:

- इमरजेंसी होने पर ट्रिपल ज़ीरो (000) पर कॉल करें
- पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा वाले मामलों के लिए 1800RESPECT (1800 737 732)
- संकट के समय मदद करने और आत्महत्या रोकने के लिए लाइफ़लाइन 13 11 14
- घबराहट (एंग्ज़ायटी), अवसाद (डिप्रेशन) और आत्महत्या के मामलों में मदद के लिए Beyond Blue 1300 224 636
- पारिवारिक और संबंधों से जुड़ी मुश्किलों वाले पुरुषों की मदद के लिए MensLine 1300 78 99 78
- Suicide Call Back Service (सुसाइड कॉल बैक सर्विस) 1300 659 467.

☒ इसे (सोशल मीडिया आइकॉन) पर शेयर करें

महत्वपूर्ण तारीखें

कंसल्टेशन शुरू होने की तारीख और समय XXX 2021 AEST समयानुसार (जल्द ही पुष्टि की जाएगी)

कंसल्टेशन बंद होने की तारीख और समय XXX 2021 AEST समयानुसार (जल्द ही पुष्टि की जाएगी)

बटन

☒ हमसे Nationalplanfeedback@dss.gov.au पर संपर्क करें

☒ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें

☒ ऑस्ट्रेलिया में अन्य पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा: एक जायज़ा

☐ अन्य

ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा – एक जायज़ा

घरेलू हिंसा का मतलब दो ऐसे लोगों के बीच हिंसा से है जो एक करीबी संबंध में हैं या थे. इसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय उत्पीड़न शामिल है. घरेलू हिंसा की कोई एक अकेली परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका एक केंद्रीय तत्व होता है. वह तत्व है लैंगिक कारकों की वजह से किया जाने वाला हिंसक बर्ताव.

ऐसे बर्ताव में पार्टनर को डराकर, उनके साथ ज़बरदस्ती करके या उन्हें धमकाकर उनपर नियंत्रण करना शामिल हो सकता है — उदाहरण के लिए, हिंसक और धमकाने वाला बर्ताव करना.

पारिवारिक हिंसा का मतलब परिवार के सदस्यों के बीच और करीबी संबंध रखने वाले पार्टनर्स के बीच हिंसा है. इसमें उसी तरह के बर्ताव शामिल होते हैं, जिनका ज़िक्र घरेलू हिंसा के लिए किया गया है. लेकिन इसमें हिंसा होने की संभावना वैवाहिक और रक्त-संबंधों के एक विस्तृत दायरे में होती है.

यौन हिंसा का मतलब बिना सहमति लिए की जाने वाली यौन गतिविधियों से है. इसमें ज़बरदस्ती करना, शारीरिक ताकत लगाना, बलात्कार करना, औज़ार इस्तेमाल करके यौन हमला करना, पॉर्नोग्राफ़ी देखने या उसमें शामिल होने के लिए मजबूर करना, वेश्यावृति के लिए मजबूर करना, या अन्य लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शामिल हो सकते हैं. यौन हिंसा पीड़ित के मौजूदा या पिछले पार्टनर, उसकी जान-पहचान वाले अन्य लोगों, या अनजान लोगों द्वारा की जा सकती है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध में लैंगिक गैर-बराबरी लगातार पारिवारिक, घरेलू और यौन हिंसा (FDSV) की एक मुख्य वजह बनी हुई है.

शोध से यह भी पता चलता है कि FDSV मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करती है. 2016 पर्सनल सेफ़्टी सर्वे में पाया गया था कि लगभग हर चार में से एक महिला ने और हर 13 में से एक पुरुष ने, 15 साल की उम्र से, एक करीबी पार्टनर के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है.

2010 में *महिलाओं और उनके बच्चों के खिलाफ़ हिंसा कम करने के लिए नेशनल प्लान* को लागू करने के बाद से, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने FDSV से सीधे तौर पर निपटने और इसे रोकने के लिए 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है.

नेशनल प्लान के तहत 2019 में शुरू किया गया 'फ़ोर्थ एक्शन प्लान' आखिरी एक्शन प्लान है. इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने महिलाओं और उनके बच्चों के खिलाफ़ हिंसा कम करने के लिए 340 मिलियन डॉलर खर्च करने का वादा किया है. यह रकम लगाए जाने से फ्रंटलाइन सर्विसेज़ का सहयोग करने, पीड़ितों के लिए सुरक्षित जगहें उपलब्ध कराने व उन्हें उनके खुद के घरों में सुरक्षित रखने और पारिवारिक कानून के मामलों में पुरुष पीड़ितों और कथित अपराधियों के साथ काम करने में मदद मिली है.

COVID-19 से निपटने के लिए, सरकार ने 'नेशनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन COVID-19 डॉमेस्टिक एंड फ़ैमिली वॉयलेंस रिस्पॉन्सेज़ (NPA)' के ज़रिए सीधे-सीधे राज्यों और टेरिटरीज़ को 130 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त रकम आवंटित की है. इससे महामारी के दौरान हिंसा का सामना कर रही या उसके जोखिम वाली महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल होने वाली सर्विसेज़ की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है. इनमें जनसंख्या का कमज़ोर तबका, अस्थायी वीज़ा पर रह रही महिलाएं और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय शामिल हैं.

नेशनल प्लान और इसे मदद देने वाले इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन प्लांस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, plan4womenssafety वेबसाइट पर जाएं.

अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें

नीचे सब्सक्राइब करके आप आगे से एक नियमित न्यूज़लेटर के ज़रिए कंसल्टेशन के मौकों के बारे में अपडेट पा सकते हैं. साथ ही, आप अगले नेशनल प्लान को तैयार करने के बारे में भी अपडेट पा सकते हैं.

Your email address*

email address

Subscribe